[2022] 14 एस.सी.आर. 420

एक्सवाईजेड

विरूद्ध

अभिषेक एवं अन्य

(दाण्डिक अपील क्रमांक 1408-1409/2022)

सितंबर 02, 2022

(डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड एवं हिमा कोहली जे.जे.)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 धारा 7क- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007-नियम 12(3)(बी)- किशोरावस्था का दावा-अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ प्रथम प्रत्यर्थी और अन्य व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था, दिनांक 24 जुलाई 2015 को घटना घटित होने के तीन से चार महीने पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। किशोरावस्था का दावा-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा यह पाया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जो मैट्रिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था वह कूटरचित था इसलिए न्यायिक कार्यवाही में साशय कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए प्रथम प्रत्यर्थी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया- सत्र न्यायाधीश के द्वारा जांच करते समय जिला मेडिकल बोर्ड की राय ली गई एवं उक्त के आधार पर निष्कर्ष निकला कि घटना की तारीख पर प्रथम प्रत्यर्थी किशोर नहीं था- प्रथम प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया- अपील में यह पाया गया कि जांच के दौरान प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने व्यक्त किया था कि प्रथम प्रत्यर्थी ने कक्षा 9 से आगे की पढ़ाई नहीं की थी और इसलिए वह मैट्रिक की परीक्षाओं में शामिल नहीं हुआ था- मैट्रिक प्रमाण पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा कूटरचित पाया गया था एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र के अभाव में, उस स्कूल में जिसमें प्रथम बार प्रवेश लिया गया था, से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र का आवलंब लिया जा सकता था, जिस पर स्कूल के निदेशक और प्रथम प्रत्यर्थी के रिश्तेदार ने भी यह स्वीकार किया था कि पहले आरोपी की जन्मतिथि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रवेश स्तर पर नहीं प्रस्तुत किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने प्रतिपरीक्षण के स्तर में स्वीकार किया कि स्कॉलर रजिस्टर में जन्मतिथि गलत है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, सत्र न्यायाधीश द्वारा स्कूल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता पर संदेह करना सही था- नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र पर सत्र न्यायाधीश द्वारा विश्वास नहीं किया गया क्योंकि दस्तावेजों का कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से रख-रखाव नहीं किया गया था और उनमें छेड़छाड़ भी पाई गई थी- निष्कर्ष को खारिज करने के लिए कोई

वैध आधार नहीं है- मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रथम प्रत्यर्थी किशोर नहीं था- किशोर होने के अभिवाक् के समर्थन में प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जिस अभिलेख का आवलंब लिया गया था, वह कूटरचित था- उच्च न्यायालय द्वारा किशोर होने के अभिवाक् को स्वीकार करने में गलती की गयी दंड संहिता, 1860- एसएस धारा 193, 465, 466, 468, 471, 363, 366ए, 376, 506, 120बी- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012-एसएस.3, 4

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

प्रतिपादित किया : 1. 2007 के नियमों के नियम 12(3)(ए) में प्रावधान है कि किसी बच्चे या किशोर की आयु निर्धारण जांच के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा करके साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है :(i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र :(ii) उस स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार भाग लिया था :(iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। खंड (ए) के उपखंड (i) और (ii) के अंत में नियम और उसके अभाव में अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। उपरोक्त तीन दस्तावेजों में से किसी के अभाव में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जा सकती है। पैरा [19][430-सी-डी]

2. प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने जांच के दौरान स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि प्रथम प्रत्यर्थी ने कक्षा 9 से आगे की पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वह मैट्रिक की परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। प्रथम प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने रिमांड चरण में मैट्रिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा कूटरचित पाया गया। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट में इसका विशेष उल्लेख किया गया था। मैट्रिक प्रमाण पत्र के अभाव में, जिस स्कूल में पहली बार दाखिला हुआ था, वहां से जन्म प्रमाण पत्र का आवलंब लिया जा सकता था। स्कूल द्वारा तैयार स्कॉलर रजिस्टर में प्रथम प्रत्यर्थी की जन्मतिथि 30 जून 1999 बताई गई है। प्रतिपरीक्षण के दौरान, अभियोजन साक्षी- क्रं 4 जो गार्जियन एंड गाइड पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं, ने स्वीकार किया कि प्रवेश के स्तर पर पहले आरोपी की जन्मतिथि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि स्कॉलर रजिस्टर में जन्मतिथि गलत है। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रत्यर्थी के पिता का व्यवसाय प्रारंभ में शिक्षक बताया गया था, जिसे बाद में सुधार कर नौकरी कर दिया गया। हालांकि, प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि उसका पति न तो शिक्षक था और न ही कोई नौकरी करता था। यह भी स्वीकार किया गया कि अभियोजन साक्षी- क्रं 4 प्रथम प्रत्यर्थी का रिश्तेदार है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का स्कूल से प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता पर संदेह करना सही था।[पैरा 25 और 26][432-जी.एच.433-बी.ईः]

3. उक्त कार्यवाहियों में आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2022 के परिपालन में नगर निगम, सतना द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी के जन्म प्रमाण पत्र की खोज हेतु पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उचित जांच के बाद, यह पाया गया कि प्रविष्टि क्रमांक 1545 दिनांक 18 अप्रैल 2002 की कोई पंजीकरण प्रविष्टि नहीं थी और अंतिम प्रविष्टि क्रमांक 1544 है। इसलिए यह स्पष्ट दर्शित है कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उसके किशोर होने के अभिवाक् के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेज कूटरचित और मनगढ़ंत हैं। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रत्यर्थी की किशोरावस्था के दावे का निर्धारण करने के लिए नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र पर विश्वास करने में गलती की थी। [पैरा 28 एवं 30][433-जी-एच][434-ए-बी]

अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750: [2012] 10 एससीआर 540: अबुजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एससीसी 489: [2012] 9 एससीआर 244: संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2019) 12 एससीसी 370:[2019] 9 एससीआर 735 का आवलंब लिया गया।

पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 12 एससीसी 744 : [2016] 2 एससीआर 1089 : ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 एसीसी ऑनलाइन एससी 1079 - संदर्भित

<u>संदर्भित न्यायदृष्टांत</u>

[2012] 10 एससीआर 540	के पैरा 21	का आवलंब
[2012] 9 एससीआर 244	के पैरा 22	का आवलंब
[2016] 2 एससीआर 1089	पैरा 23	संदर्भित
[2019] 9 एससीआर 735	के पैरा 24	का आवलंब

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नंबर 1408-1409/2022

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की प्रिंसिपल सीट जबलपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.08.2016 में आपराधिक पुनरीक्षण क्रं 278/2016 और विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 5495/2016

आदित्य के.दुबे., नितिन सिंह, देवव्रत, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

कु. अंकिता चैधरी, डीवाई सूर्यनारायण सिंह, सीनियर अधिवक्ता, कुं प्रगति नीखरा, कु. पूजा धार, पशुपतिनाथ राजडन, निर्मल कुमार अवस्था, कु. आयुषी मित्तल, विपुल अभिषेक, प्रखर श्रीवास्तव अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. धंनजय वाई चंद्रचूड, जे

1. याचिका स्वीकृत

2. यह अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वारा पारित दिनांक 22 अगस्त 2016 को आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 278/2016 और विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 5495/2016 के निर्णयों से उत्पन्न हुई हैं। उच्च न्यायालय ने चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतना की न्यायालय के दिनांक 21 दिसंबर 2015 के निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रथम प्रत्यर्थी घटना दिनांक को किशोर था। हम निम्नलिखित कारणों से मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों में गलती की है और प्रथम प्रत्यर्थी की किशोरता का अभिवाक् कूटरचित दस्तावेजों पर आधारित है।

3. दिनांक 24 जुलाई 2015 को, अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली, सतना में भारतीय दंड संहिता 1860[1] की धारा 363, 366ए, 376, 506 और 120बी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012[2] की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 433/2015 दर्ज की गयी थी। अपीलकर्ता, जो अपराध के समय नाबालिग थी, ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रत्यर्थी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। कथित अपराध घटना के संबंध में लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24 जुलाई 2015 से लगभग तीन से चार महीने पूर्व में घटित होना बताया गया था। जांच के दौरान, पहले प्रत्यर्थी को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर इस अपराध में शामिल थे।

4. दिनांक 6 अगस्त 2015 को प्रथम प्रत्यर्थी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना[3] की न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000[4] के तहत घटना दिनांक के दिन किशोरावस्था का बचाव लिया था। उसकी ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक जमानत आवेदन मय प्रथम प्रत्यर्थी के हाई स्कूल की परीक्षा में उपस्थिति से संबंधित माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए कथित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया। प्रमाण पत्र में दर्शित है कि प्रथम प्रत्यर्थी की जन्मतिथि 30 जनवरी 1999 थी।

5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ने जांच की और पाया कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र कूटरचित था। इसलिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पुलिस को न्यायिक कार्यवाही में साशय कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए प्रथम प्रत्यर्थी के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 193, 465, 466, 468 और 471 के तहत आरक्षी केंद्र सिविल लाइन, सतना में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 292/2015 दिनांक 20 अगस्त 2015 दर्ज करने का निर्देश दिया।

6. सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 4 सितंबर 2015 के द्वारा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सतना को जांच करने का निर्देश दिया था। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जांच की, जिसके दौरान गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए। दिनांक 21 दिसंबर 2015 को जांच रिपोर्ट सत्र न्यायाधीश को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि :

> (i) अभियोजन साक्षी-1 माया सिंह, प्रथम प्रत्यर्थी की मां के द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी कक्षा 9 के बाद किसी भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ।
>
> (ii) रिमांड के चरण में अभियुक्त की ओर से कूटरचित मैट्रिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।
>
> (iii) प्रथम स्कूल जिसमें कथित तौर पर प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पहली बार दाखिला लिया गया था उसके एक रिश्तेदार द्वारा संचालित किया जा रहा था।
>
> (iV) स्कूल में प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं था एवं जन्म का महीना गलत दर्ज किया गया था और
>
> (V) जन्म रजिस्टर के उद्धरण में गड़बड़ी पाई गई, सुधार और ओवरराईटिंग पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।

7. प्रथम प्रत्यर्थी की उम्र की पुष्टि करने वाले दस्तावेज की अनुपलब्धता के कारण, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम 2007[5] के नियम 12(3)(बी) के अनुसार चिकित्सा राय लेने का फैसला लिया तदनुसार, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जिला मेडिकल बोर्ड की राय मांगी, जिसने प्रथम प्रत्यर्थी की जांच की थी। जिला मेडिकल बोर्ड की राय थी कि मेडिकल साक्ष्य और साहित्य के आधार पर प्रथम प्रत्यर्थी की अनुमानित आयु 17 से 21 वर्ष के बीच थी। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रथम प्रत्यर्थी की अनुमानित आयु 19 वर्ष आंकी। इस प्रकार, चतुर्थ अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घटना की तारीख पर प्रथम प्रत्यर्थी किशोर नहीं था।

8. इस बीच, पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 433/2015 में जांच पूरी कर धारा 363, धारा 366, धारा 376(2)(Vi), धारा 120-बी और धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम प्रत्यर्थी और छह अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 02 नवंबर 2015 को सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 292/2015 में भी जांच पूरी की और प्रथम प्रत्यर्थी और उसके अधिवक्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 465, 466, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध का अभियोग पत्र दिनांक 03 दिसंबर 2015 को दायर किया।

9. प्रथम प्रत्यर्थी ने दिनांक 21 दिसंबर 2015 की चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22 अगस्त 2016 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार कर प्रथम प्रत्यर्थी की किशोरावस्था का अभिवाक् स्वीकार कर मान लिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24 जुलाई 2015 के समय वह किशोर था।

10. उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने पाया कि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि यह उपलब्ध है, और इसकी अनुपस्थिति में, जिस स्कूल में पहली बार दाखिला लिया गया था, उसकी जन्मतिथि को इस निर्धारण में स्वीकार करना होगा कि क्या घटना की तारीख पर प्रथम प्रत्यर्थी किशोर था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि प्रथम प्रत्यर्थी को कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया था, जहां उसकी जन्मतिथि 30 जून, 1999 बताई गयी है, जिसकी पुष्टि गार्जियन एंड गाइड पब्लिक स्कूल, सतना के निदेशक अभियोजन साक्षी-4 द्वारा की गयी थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि नगर निगम द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2002 को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 30 जनवरी 1999 बताई गई है। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि :

> 17. जन्म एवं मृत्यु पंजी के अनुसार अभिषेक सिंह के जन्म के संबंध में 18.4.2002 को डिस्पेच नंबर 284 द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो क्रम संख्या 1545 पर 30.01.1999 के रूप में दर्ज है। प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श पी 7 के रूप में प्रस्तुत है जो हरिमंगल सिंह, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, नगर निगम, सतना के हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया था। इन दोनों दस्तावेजों को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि गार्जियन एंड गाइड स्कूल के निदेशक श्री चंद्र मौलिया आरोपी के परिवार से संबंधित है। आरोपी का प्रवेश पत्र का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र

को भी इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उक्त पंजी में कुछ अतिव्यापी था। विचारण न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि प्रमाणपत्र दो साल की अवधि के बाद जारी किया गया था और नगर निगम दो साल की अवधि के बाद प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रमाण पत्र घटना की तारीख से काफी पहले वर्ष 2002 में जारी किया गया था। अपराध के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 24.7.2015 को संबंधित आरक्षी केंद्र में दर्ज करायी गयी।

11. उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि वर्ष 2002 में नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र वैध था क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित था और इसके साथ एक डिस्पैच नंबर, अर्थात् प्रविष्टि क्रमांक 1545 था। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी के पास वर्ष 2002 में वर्ष 2015 में हुई घटना के लिए कूटरचित दस्तावेज प्राप्त करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी था या वह असली नहीं था, इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना के निष्कर्षों को पलट दिया।

12. इन कार्यवाही में दिनांक 15 दिसंबर 2016 को नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान दिनांक 18 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित शर्तों में आदेश पारित किया गया था :

"1 न्यायालय को किशोरावस्था के मुद्दे पर एक सही दृष्टिकोण बनाने में सक्षम बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य आरोपी अभिषेक सिंह के कथित जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित नगर निगम सतना का मूल रिकॉर्ड पेश करें।

2 अधिवक्ता उपरोक्त निर्देश संप्रेषित करे और मूल अभिलेख बुलाएं और इस न्यायालय के समक्ष चार सप्ताह के भीरत प्रस्तुत करें।

3 विशेष अनुमति याचिकाओं को 17 मई 2022 को सूचीबद्ध करें।"

13. उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सतना द्वारा शपथपत्र दायर किया गया है। शपथपत्र से संकेत मिलता है कि रिकॉर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए 16 मार्च 2022 को पांच अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। पांच सदस्यीय समिति द्वारा 30 मई 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है।

कार्यालय के आदेश क्रमांक-103/स्टेनो/न.पा.नि./2022 सतना दिनांक 16.05.2022 द्वारा अभिषेक सिंह का जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अभिलेख तलाशे जाने हेतु समिति का गठन किया गया समिति के

सदस्यों द्वारा आदेश के परिपालन में अभिलेख तलाशे गए किंतु अभिलेखागार एवं जन्म-मृत्यु शाखा में रखे पंजीयन अभिलेख में उक्त नाम से संबंधित अभिलेख तथा पंजीयन प्राप्त नहीं हुआ निगम अधिवक्ता श्री अखिलेश गुप्ता जी से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध अभिषेक सिंह का प्रकरण जिला न्यायालय सतना में प्रकरण क्रमांक एसटी/129/2016 विचाराधीन है जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 26.05.2022 को नियत है। उक्त नियत तिथि को प्रकरण में संलग्न अभिलेखों के अवलोकन हेतु निगम पैनल अधिवक्ता श्री अखिलेश गुप्ता, श्री गौरव श्रीवास्तव सहायक विधि अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार सेन, सहायक ग्रेड-3 द्वारा प्रकरण की केस डायरी में केवल जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न पायी गई जिसकी जानकारी नोट की गई जो निम्नानुसार है-

- जन्म होने वाले का नाम- अभिषेक सिंह
- पिता का नाम- श्री राजेश प्रताप सिंह
- माता का नाम- श्रीमती माया सिंह
- जन्म तिथि- 30.01.1999
- जन्म स्थान- भरहुत नगर सतना
- रजिस्ट्रीकरण क्रमांक- 1545 एवं दिनांक 18.04.2022
- जावक क्रमांक - 246 दिनांक 18.04.2002

उक्त जानकारी के आधार पर जन्म-मृत्यु शाखा में रखे अभिलेख (माह अप्रैल 2002 एवं मई 2002 के पंजीयन बुकलेट) वर्तमान में कार्यरत श्री ऋषि कुमार पटेल लिपिक जन्म-मृत्यु में मांगे जाने पर माह अप्रैल 2002 का पंजीयन उपलब्ध कराया गया जिसका अवलोकन किए जाने पर न्यायालय में संलग्न जन्म प्रमाण-पत्र के पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रीकरण क्रमांक) क्रमांक-1545 दिनांक 18.04.2002 की प्रविष्टि अंकित नहीं पाई गई, बल्कि निगम कार्यालय में उपलब्ध माह अप्रैल 2002 के पंजीयन में अंतिम पंजीयन 1544 तक ही है। तथा आगामी माह मई 2002 का पंजीयन बुकलेट तथा जारी रजिस्टर भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, कि जानकारी जन्म-मृत्यु शाखा के लिपिक श्री ऋषि कुमार पटेल द्वारा बताया गया।

अतः वांछित प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

14. प्रसांगिक अनुच्छेद का अनुवाद नीचे दिया गया हैः

> ''[.....] उपरोक्त जानकारी के आधार पर जन्म-मृत्यु शाखा में रखा गया अभिलेख (अप्रैल, 2002 और मई, 2002 की पंजीकरण पुस्तिका) वर्तमान क्लर्क श्री ऋषि कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पंजीयन क्रमांक 1545 दिनांक 18.04.2002 पंजी में अंकित नहीं पाया गया। उपलब्ध अभिलेख में माह अप्रैल 2002 की अंतिम प्रविष्टि 1544 पाई गई है। तथा आगामी माह मई 2002 की पंजीयन पुस्तिका एवं जारीकर्ता पंजी भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी लिपिक श्री ऋषि कुमार पटेल ने प्रदत्त की है जो जन्म मृत्यु शाखा में पदस्थ है।''

15. उच्च न्यायालय ने चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट को खारिज करते हुए, जन्म रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि पर विश्वास किया है जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी की जन्मतिथि दिनांक 30 जनवरी 1999 की प्रविष्टि क्रमांक 1545 की गयी थी। प्रविष्टि संख्या 1545 को

विज्ञापित किया गया है। जांच में यह पाया कि जैसा कि उपरोक्त उद्धरण से संकेत मिलता है, यह सामने आया है कि जन्म पंजिका में माह अप्रैल 2002 से संबंधित प्रविष्टि क्रं 1545, दिनांकित 18 अप्रैल 2002, पर कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने किशोरावस्था के दावे पर विस्तृत जांच की है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस कारण मौजूद हैं कि किशोरावस्था के दावे के समर्थन में कूटरचित अभिलेख पेश किया गया था।

16. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया था कि विचारण न्यायालय 2007 के नियमों के नियम 12(3) के तहत उसके सामने प्रस्तुत स्कूल प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र के खिलाफ स्पष्ट निष्कर्ष दिए बिना मेडिकल बोर्ड की राय की मांग नहीं कर सकता था। अनुरोध किया गया कि नगर निगम द्वारा वर्ष 2002 में जारी जन्म प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज है। इसके अलावा, यह निवेदन किया गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी के पहली कक्षा के दाखिले के समय स्कूल में जो उसकी जन्मतिथि 30 जून 1999 अंकित की गयी थी वह सक्षम साक्षी -गार्जियन एंड गाइड पब्लिक स्कूल के निदेशक ,सतना द्वारा की गई थी।

17. हमारे विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले, प्रासांगिक कानूनी प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, अब निरस्त किए गए अधिनियम 2000 की अगली कड़ी है। वर्ष 2000 के अधिनियम की धारा।

7-क किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का कोई दावा किया जाता है या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध कारित होने की तारीख को किशोर था तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किंतु शपथपत्र पर नहीं) और इस बारे में उसकी निकटतम आयु का कथन करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है अथवा नहीं ;

परंतु किशोरावस्था का दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसे किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के पश्चात् भी, मान्यता दी जाएगी और ऐसे दावे का इस अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अवधारण किया जाएगा, भले ही उसकी किशोरावस्था इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले समाप्त हो गई हो।

(2) यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई व्यक्ति उपधारा(1) के अधीन अपराध कारित करने की तारीख को किशोर था, तो वह उस किशोर को समुचित आदेश पारित किए जाने के लिए बोर्ड को भेजेगा, और यदि न्यायालय द्वारा कोई दंडादेश पारित किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है।

18. वर्ष 2007 के नियमों का उप नियम 12(3) न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड[6] द्वारा आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। नियम नीचे उद्धरित किया गया हैः

"12. आयु निर्धारण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया – (1)

(2)

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, उम्र निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके आयोजित की जाएगी-

(ए)(i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाणपत्र जिसमें पहली बार भाग लिया था; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) में से किसी एक (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर की उम्र की घोषणा करेगा। यदि उम्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझे जाए, तो बच्चे या किशोर को लाभ दे सकती है। एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए।

और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य, या जैसा भी मामला हो, चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और किसी भी में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा। खंड (ए)(i), (ii), (iii) या उसके अभाव में, खंड(बी) ऐसे बच्चे या कानून के उल्लंघन में किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

19. 2007 के नियमों के उप नियम 12(3)(ए) में प्रावधान है कि किसी बच्चे या किशोर की 'आयु निर्धारण जाचं' के उद्देश्य से निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा करके साक्ष्य

प्रस्तुत किए जा सकता हैः (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र (ii) प्रथम स्कूल में जन्मतिथि प्रमाणपत्र या (iii) निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। खंड(अ) के उपखंड (i) और (ii) के अंत में नियम "और उसके अभाव में" वाक्यांश प्रयोग करता है। इसके अलावा, उपर्युक्त तीन दस्तावेजों में किसी के अभाव में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय राय मांगी जा सकती है।

20. **अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य**[7] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 2007 के नियमों के उप नियम 12(3)(ए) के साथ-साथ वर्ष 2000 के अधिनियम की धारा 7-क के प्रावधानों पर विचार किया। न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि केवल ऐसे मामलों में जहां नियम 12(3)(ए) के तहत निर्धारित दस्तावेज कूटरचित या जाली पाए जाते हैं, वहां ही न्यायालय या बोर्ड को उम्र निर्धारण के लिए मेडिकल जांच का निर्देश दे सकता है। न्यायालय ने आयु निर्धारण जांच के संचालन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किएः

> "32. "आयु निर्धारण जांच" जो इस अधिनियम की धारा 7-क में दी गयी है सहपठित वर्ष 2007 के नियमों के उप नियम 12 न्यायालय को साक्ष्य मांगने में सक्षम बनाती है और उस प्रक्रिया में, यदि उपलब्ध हो तो, न्यायालय मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। केवल किसी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र के अभाव में, न्यायालय को प्ले स्कूल के अलावा किसी ऐसे स्कूल से, जिसमें विद्यार्थी प्रथमतः उपस्थित हुआ, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। केवल मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार उपस्थित हुए स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अभाव में, न्यायालय को निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी (शपथ पत्र नहीं बल्कि प्रमाण पत्र या दस्तावेज)। विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय राय प्राप्त करने का प्रश्न तभी उठता है जब उपर्युक्त दस्तावेज अनुपलब्ध हों। यदि उम्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय, कारण दर्ज करने के पश्चात, यदि आवश्यक समझे तो, एक वर्ष के अंतराल के भीतर उसकी उम्र को कम मानकर बच्चे या किशोर को लाभ दे सकती है।"

21. इसके पश्चात्, **अबूजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[8] के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि नियम 12(3)(ए) के तहत निर्धारित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और उक्त संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

"39.3. प्रथमदृष्टया कौनसी सामग्री न्यायालय को संतुष्ट करेगी और/ या प्रारंभिक भार से मुक्ति के लिए पर्याप्त है, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि साक्ष्य के एक विशिष्ट हिस्से को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जो कि किशोरावस्था की परिकल्पना करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नियम 12(3)(ए) (i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से अपराधी की उम्र के बारे में न्यायालय की प्रथमदृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे, जिसके पश्चात नियम 12 के तहत आगे की जांच की आवश्यकता होगी। धारा 313 (द.प्र.स.) के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान के किशोरावस्था के दावे को उचित ठहराने या अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। <u>दोषसिद्धि के बाद प्राप्त स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथमदृष्टया स्वीकार या अस्वीकृत होना ही चाहिए।</u> अकबर शेख [(2009) 7 एससीसी 415: (2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 431] और पवन [(2009) 15 एससीसी 259: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 522] में ये दस्तावेज प्रथमदृष्टया विश्वसनीय नहीं पाए गए जबकि जितेंद्र सिंह में [(2010) 13 एससीसी 523: (2011) 1 एससीसी (सीआरआई) 857] के प्रकरण में स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, मार्कशीट और मेडिकल रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को, अपीलकर्ता की उम्र की जांच एवं सत्यापन निर्दिष्ट करने बाबत्, पर्याप्त माना गया है। यदि ऐसे दस्तावेज प्रथमदृष्टया न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो न्यायालय धारा 7-क के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेजों पर कार्रवाई कर सकती है और अपराधी की उम्र के निर्धारण के लिए जांच का आदेश दे सकती है।

22. **अबूजर हुसैन** (सुप्रा) के फैसले को इस न्यायालय के उत्तरोत्तर फैसलों में विचार में लाया गया है। **पराग भाटी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य**[9] में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने प्रतिपादित किया कि यदि कोई संदेह है या आरोपी द्वारा विरोधाभासी रूख अपनाया जा रहा है तो किशोर की उम्र के निर्धारण के लिए जांच की अनुमति है। इस मामले में, बोर्ड ने स्कूल द्वारा दर्ज की गई आरोपी की जन्मतिथि को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया कि वह फर्जी स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर आधारित थी इस न्यायालय को बोर्ड के निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिली। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालयों को उन परिस्थितियों में जहां गंभीर और जघन्य अपराध किया गया हो, किसी आरोपी की किशोरता का फैसला करते समय आकस्मिक या लापरवाह दृष्टिकोण अपनाने से सावधान रहना चाहिए।

23. **संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तरप्रदेश राज्य**[10] में इस न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि अभियुक्त की आयु निर्धारण जांच में मैट्रिकुलेशन प्रमाण की साख व प्रमाणिकता कितनी है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाने वाला मैट्रिक प्रमाणपत्र पूरी तरह से सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा बनाए गए अभिलेख के आधार पर था, जहां आरोपी कक्षा 5 से कक्षा 10 तक छात्र था। यह पता चला कि स्कूल ने बिना किसी अंतर्निहित दस्तावेजों के अभिलेख बनाए हुए थे। न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि किशोरावस्था के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी की जन्मतिथि के बारे में स्पष्ट और निर्विवाद सबूत थे जो दूसरे स्कूल के अभिलेख में दर्ज किए गए थे।

24. **ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य**[11], के फैसले में, इस न्यायालय को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए मैट्रिक प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता तय करने का काम सौंपा गया था। न्यायालय ने मैट्रिक प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता को इस आधार पर बरकरार रखा कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि की पुष्टि स्कूल प्रवेश अभिलेख से हो रही थी। इसके अलावा, यह पाया गया कि ऐसा अन्य कोई दस्तावेज नहीं था जो अभियुक्त की उस जन्मतिथि से जो मैट्रिक प्रमाणपत्र में लिखी थी से भिन्न के ओर इशारा करता हो।

25. वर्तमान प्रकरण में, प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने जांच के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम प्रत्यर्थी ने कक्षा 9 से आगे की पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वह अपनी मैट्रिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया था। प्रथम प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने रिमांड चरण में मैट्रिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जिसे जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जाली पाया गया। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट में इसका विशेष उल्लेख किया गया था। मैट्रिक प्रमाणपत्र के अभाव में, उस स्कूल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र जहां पर प्रथम बार दाखिला लिया गया था का आवलंब लिया जा सकता था।

26. प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने कहा कि प्रथम प्रत्यर्थी को गार्जियन एंड गाइड पब्लिक स्कूल, सतना की कक्षा 1 में दाखिला दिया गया था। स्कूल द्वारा प्रस्तुत 'स्कॉलर रजिस्टर' में प्रथम प्रत्यर्थी की जन्मतिथि 30 जून 1999 बताई गई है। प्रतिपरीक्षण के दौरान, अभियोजन साक्षी- क्रमांक 4, जो गार्जियन एंड गाइड पब्लिक स्कूल के निदेशक है, ने स्वीकार किया कि जन्म तारीख के संबंध मे दाखिले के समय कोई दस्तावेज नहीं प्रदत्त किए गए थे। प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि स्कॉलर रजिस्टर में लिखी जन्मतिथि गलत है। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रत्यर्थी के पिता का व्यवसाय शुरू में शिक्षक बताया गया था, जिसे बाद में नौकरी में सुधार दिया गया। हालांकि, प्रथम प्रत्यर्थी की मां ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि उसका पति न तो शिक्षक था, न ही कोई नौकरी करता था। यह भी स्वीकार किया गया कि अभियोजन साक्षी- क्रमांक 4 प्रथम प्रत्यर्थी का रिश्तेदार है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश का स्कूल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता पर संदेह करना सही था।

27. स्कूल से विश्वसनीय जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा दिए गए जन्म प्रमाणपत्र की जांच की। नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र दिनांक 18 अप्रैल 2002 प्रविष्टि क्रमांक 1545 था जबकि प्रथम प्रत्यर्थी की जन्मतिथि 30 जनवरी 1999 बताई गई है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता पर संदेह किया क्योंकि दस्तावेजों का कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से रख-रखाव नहीं किया गया था और उनमें छेड़छाड़ भी पाई गई थी। यह भी पाया गया कि जन्म रजिस्टर में गड़बड़ी की गई थी और सुधार व ओवरराईटिंग पर सक्षम आधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र की वास्तविकता पर संदेह करने के कारणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। निष्कर्ष को खारिज करने का कोई वैध आधार नहीं था।

28. इस कार्यवाही के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2022 के परिपालन में प्रथम प्रत्यर्थी के जन्म प्रमाणपत्र की खोज हेतु नगर निगम, सतना द्वारा पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उचित जांच के बाद, यह पाया गया कि प्रविष्टि क्रमांक 1545, दिनांकित 18 अप्रैल 2002, वाली कोई पंजीकरण प्रविष्टि नहीं है और अंतिम प्रविष्टि क्रमांक 1544 है। इसलिए यह दर्शित होता है कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी किशोरावस्था के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वह कूटरचित व बनावटी थे। इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रत्यर्थी की किशोरावस्था को निर्धारित करने के लिए नगरपालिका प्रधिकरण द्वारा जारी किए गए कूटरचित जन्म प्रमाणपत्र पर विश्वास करने में गलती की थी।

29. चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया, वह आयोजित जांच के अभिलेख से सामने आया था। उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष को उलटने और किशोरता का निष्कर्ष निकालने में स्पष्ट रूप से गलती की है। यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रथम प्रत्यर्थी किशोर नहीं था, वह समस्त अभिलेख जो प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उसके किशोरावस्था के दावे के समर्थन में विश्वास करने हेतु तलाशे गये वह समस्त कूटरचित थे। उच्च न्यायालय ने किशोर होने के अभिवाक् को स्वीकार कर गलती की है।

30. हम तदनुसार 22 अगस्त 2016 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना की किशोरावस्था के दावे को खारिज करने वाली रिपोर्ट तदनुसार कायम रहेगी।

31. उपरोक्त शर्तों में अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

32. अपीलकर्ता का नाम संशोधित किया जाएगा और अभिलेख में 'एक्सवाईजेड' के रूप में दर्शाया जाएगा।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निराकरण किया गया।

अपील स्वीकार

सुश्री श्वेता सिंह

क्रमांक 1	भारतीय दंड संहिता 1860
क्रमांक 2	पॉक्सो एक्ट
क्रमांक 3	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
क्रमांक 4	अधिनियम 2000
क्रमांक 5	नियम 2007
क्रमांक 6	बोर्ड
क्रमांक 7	(2012) 9 एससीसी 750
क्रमांक 8	(2012) 10 एससीसी 489
क्रमांक 9	(2016) 12 एससीसी 744
क्रमांक 10	(2019) 12 एससीसी 370
क्रमांक 11	2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1079